November 05, 2025

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051

Symbol: JUBLCPL

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Scrip Code: 544355

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of Copies of Newspaper Publication

In furtherance to our intimation dated November 04, 2025 and pursuant to Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of MINT (English) and Hindustan (Hindi) newspapers dated November 05, 2025, in which Quick Response Code and the details of the webpage where complete Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025, are accessible to the Investors, have been published. The aforesaid results were approved by the Board of Directors in their meeting held on November 04, 2025.

This is for information and records.

Thanking you,
For and on behalf of
Jubilant Agri and Consumer Products Limited

Hariom Pandey

Digitally signed by Hariom Pandey
Date: 2025.11.05 13:15:52 +05'30'

Hariom Pandey
Company Secretary

Encl: As above

Meta secures partial relief in dispute over data sharing

CCI's order barring WhatsApp from sharing user data with Meta group companies modified

Krishna Yadav
krishna.yadav@livemint.com
NEW DELHI

NCLAT has upheld CCI's imposition of ₹213 crore penalty on Meta. AP

The National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) upheld the ₹213 crore penalty on Meta Platforms and WhatsApp, finding that the Competition Commission of India (CCI) had correctly established abuse of dominance and imposed a proportionate fine.

"The penalty imposed of ₹213.14 crore only (Rupees Two Hundred Thirteen Crores and Fourteen Lakhs only) upon Meta is upheld," the judgment noted.

The tribunal agreed that WhatsApp's 2021 privacy policy forced users to accept expanded data-sharing terms without real choice, violating Section 4(2)(a)(i) of the Competition Act, which prohibits dominant firms from imposing unfair conditions. It also noted that Meta and WhatsApp operate under common ownership and control, justifying a joint penalty.

However, the NCLAT said the five-year ban lacked reasoning and was legally unjustified. It observed that restoring user consent and opt-in/opt-out choice sufficiently addresses the coercive elements of the 2021 policy. "Once users have been given the option to freely decide to opt in or opt out...this direction becomes redundant," the judgment stated.

Lawyers described the verdict as balanced and nuanced.

"The NCLAT has struck a fine balance in the WhatsApp and Meta case. By lifting the data-sharing ban and setting aside the dominance finding, it shields their business model. Yet by upholding the ₹213 crore penalty, it reminds Big Tech that fairness and transparency are now central to competition law," said Ketan Mukhija, senior partner, Burgeon Law.

"This nuanced verdict reinforces that while dominance itself is not unlawful, leveraging it without informed user consent can still attract competition scrutiny," said Amit Tungare, managing partner, Asahi Legal.

According to Raheel Patel, partner at Gandhi Law Associates, the ruling indicates that competition cases should be based on clear evidence of market harm, rather than merely concerns about data or privacy. He said the decision may give tech companies more confidence to challenge broad claims of dominance and encourage CCI to adopt a more evidence-based approach in handling digital market cases.

The case arose from WhatsApp's January 2021 privacy policy update, which required users to accept new terms allowing the app to share certain data, such as device information, business interactions, and usage details, with its parent company, Meta (then Facebook). WhatsApp said the update aimed to help businesses communicate with customers and improve ad services on Facebook and Instagram. However, users had to accept these terms to continue using the app, sparking global backlash over privacy concerns and allegations that WhatsApp was forcing people to share their data.

India's competition watchdog held that the policy was exploitative and exclusionary conduct, unfairly strengthening Meta's position in digital advertising by leveraging WhatsApp's dominant presence in the messaging market.

In its November 2024 order, CCI fined Meta and WhatsApp ₹213.14 crore, prohibited them from sharing user data with Meta or its affiliates for five years, and directed them to disclose the specific purpose behind each category of data collected.

Meta challenged the order before NCLAT. In January, the appellate tribunal granted partial interim relief, lifting the five-year data-sharing ban but requiring Meta to deposit 50% of the fine, in addition to the 25% already paid. The refund was made subject to the final verdict. During the hearings, Meta argued that CCI had misapplied competition law to what was essentially a data protection issue. It maintained that the 2021 update did not broaden WhatsApp's data collection beyond the 2016 policy but merely clarified existing categories. The company emphasized that no sensitive user data was shared with Meta for advertising and that features such as "Click to WhatsApp" were optional.

Meta also cautioned that enforcing the data-sharing ban would harm small Indian businesses that rely on personalized advertising through Facebook and Instagram based on WhatsApp interactions. It stated that the ban could compel Meta to halt or withdraw key features, potentially impacting its commercial viability in India. Meta further argued that CCI overstepped its jurisdiction, lacked supporting evidence such as user complaints or surveys, and ignored the presence of rivals such as Telegram, Signal, and iMessage.

In response, CCI defended its order, arguing that Meta's vast size, integration, and resources across Facebook, Instagram, Messenger, and WhatsApp made it the dominant player in India's messaging market.

For an extended version of this story, go to livemint.com.

NO ALL-CLEAR

THE tribunal agreed that WhatsApp's 2021 privacy policy forced users to accept the revision

IT pointed to the violation of section 4(2)(a)(i) of Competition Act in the matter

IT also noted that a joint penalty was justified as Meta and WhatsApp had common ownership

NCLAT also noted the five-year ban lacked reasoning and was legally unjustified

Hyundai bets on upgraded Venue to accelerate sales

Ayaan Kartik
ayaan.kartik@livemint.com
NEW DELHI

Whole-time director & COO of HMIL Tarun Garg speaks at the launch of 2025 Hyundai Venue SUV and Hyundai Venue N Line. PTI

Hyundai Motor India Ltd (HMIL) launched a new version of its compact sport utility vehicle (SUV) Venue with upgraded technology and premium design, pricing it aggressively in a bid to defend its market share that has come under pressure.

The first upgrade in three years of Venue, which is the Korean company's second best-seller in India after Creta, officially begins Hyundai's launch blitzkrieg of 26 models over the next five years.

The company launched the new version of the car, which will be manufactured at its Talegaon facility, in the national capital on Tuesday. Priced between ₹7.9 lakh and ₹9.1 lakh (ex-showroom), the compact SUV will take on the likes of Tata Nexon, Maruti Brezza and Mahindra XUV 3XO. All of the competitors' cars are currently priced between ₹7 and ₹14 lakh.

"It's a next-generation car. It has got excellent reviews, every way you look at it, whether it's the exterior or interior," Tarun Garg, whole-time director and chief operating officer at Hyundai Motor India, told *Mint*.

Venue's upgrade will prove to be crucial after the government decided to cut GST on cars sized less than 4 metres

The upgrade comes at a time when the company is under pressure from rivals such as Tata Motors and Mahindra & Mahindra, which has managed to take the number two spot this year. In the first nine months of calendar year 2025, Hyundai sold 425,330 units, trailing Mahindra which sold 446,697 vehicles in the same period.

According to experts, the timing of the introduction of this new model is crucial for Hyundai, given the fact that competition in the compact SUV segment is heating up, with both Tata and Mahindra seeing traction in the segment.

"This model can be a game-changer for Hyundai as they needed a product intervention to drive sales in the market. More than the product itself, the timing of the launch is important as Hyundai is at its lows in terms of market share and for the second spot in sales," Puneet Gupta, director at S&P Global Mobility, said.

"Hyundai needs to bolster its presence in this sweet spot segment as there is intense competition coming from the other carmakers, which will intensify further as power train becomes more complex."

Shares of Hyundai Motor settled 1.4% lower at ₹2,393.25 apiece on the BSE on Tuesday.

Hyundai first launched Venue in the Indian market in 2019, followed by an upgrade in 2022.

In the run-up to the launch of the revamped Venue, Hyundai's sales saw tepid growth in both September and October, as the company prepared to sell the new model from November.

In September, Hyundai's overall sales grew just 1% to 51,547 units, while in October it saw its sales decline 3.2% to 53,792 units.

According to Garg, Venue's upgrade will prove to be crucial after the government decided to cut goods and services tax on cars sized less than 4 metres.

"Consumers who are looking to buy a ₹6-10 lakh car want to upgrade from hatchbacks to these compact SUVs which provide space and comfort," Garg said. "With the Venue launch, the wholesale situation will be taken care of starting from November."

According to Autocar India data, micro SUV sales rose 20% in FY25 to 510,793 units, while compact SUVs grew 14% to 697,013 units.

During the same time, sales of small hatchback cars declined 13% to about a million units.

The new Venue comes with advanced driver assistance system, six airbags, connected car features, and surround view monitor along with an infotainment system to cater to young buyers aged under 30 years.

For an extended version of this story, go to livemint.com.

भारत से कारोबार शुरू कर ब्रिटेन में बनाया दबदबा

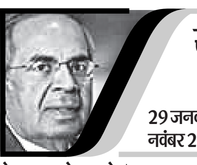

स्मृति शेष
29 जनवरी 1940
नवंबर 2025

पेज-1 से आगे

नई दिल्ली, एजेंसी। हिंदुजा समूह ने उद्योग जगत में भारत को नई पहचान दिलाई है। कंपनी के चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा ने समूह की तरक्की को नया आयाम दिया। उन्होंने बिजनेस को वर्ष 1959 में संभाला।

गोपीचंद मध्य पूर्व में काम कर रही कंपनी को कड़ी मेहनत से ब्रिटेन तक पहुंचा कारोबार अरबों में किया। हिंदुजा समूह ने कपड़ा, ट्रेडिंग और आलू प्याज के निर्यात से कारोबार की शुरुआत की और आज के दौर में हर क्षेत्र में इस समूह का दबदबा है।

वर्ष 1987 में अशोक लेलैंड को अपने कब्जे में लिया: उद्योगपति गोपीचंद हिंदुजा के नेतृत्व में कंपनी ने 1984 में गल्फ ऑयल के कारोबार को संभाला। वर्ष 1987 में अशोक लेलैंड को अपने कब्जे में लिया। यह भारत में किसी एनआरआई द्वारा किया गया पहला बड़ा निवेश था। गोपीचंद हिंदुजा ने 1990 के दशक में स्विट्जरलैंड और भारत में बैंक खोले। अगस्त 2025 में गोपीचंद हिंदुजा की कुल नेटवर्थ करीब 20.6 अरब डॉलर आंकी गई थी। मई 2025 में अमीरों की सूची में हिंदुजा परिवार ब्रिटेन के चौथे सबसे अमीर परिवारों में शामिल था।

समूह की कुल नेटवर्थ इस साल करीब चार लाख करोड़ रुपये आंकी गई थी। गोपीचंद को वर्ष 1997 में ब्रिटेन की नागरिकता मिली थी। वे ब्रिटेन के समृद्ध भारतीय मूल के उद्योगपतियों में शामिल थे। उनसे जुड़े भारतीय मूल के एक उद्योगपति ने कहा, 'जीपी' के जाने से एक युग का अंत हो गया है।

विवादों से भी रहा नाता : गोपीचंद हिंदुजा का नाता विवादों से भी रहा। बोफोर्स घोटाले में इनके साथ दोनों भाई का नाम सामने आया था। सीबीआई ने सभी के खिलाफ अक्तूबर 2000 में केस दर्ज किया लेकिन 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें साक्ष्यों के आरोप में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

उद्योग जगत के साथी 'जीपी' कहकर पुकारते थे

गोपीचंद हिंदुजा को उद्योग जगत के लोग 'जीपी' कहकर पुकारते थे। इनके बिजनेस का एक मात्र मंत्र था 'कॉमन सेंस'। कहते थे अगर व्यापार में कहीं हाथ डाल रहे हो तो पहले दिमाग की सुनो। दिमाग क्या सोच रहा और क्या भविष्य देख रहा इसी के आधार पर व्यापार का भविष्य तय होता है। यही नतीजा रहा कि व्यापार से जुड़े फैसलों में लाभ दिखता था और कंपनी फैली।

महिलाओं को नया मुकाम दिलाया

गोपीचंद हिंदुजा ने देश की महिलाओं के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। हिंदुजा फाउंडेशन के तहत कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई। कृषि से जुड़ी महिलाओं को सोलर वॉटर पंप मुहैया कराकर उनके मुनाफे को कई गुना बढ़ाया। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों में महिलाएं इस समूह के सहयोग से अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं और पहले की तुलना में बेहतर कर रही हैं।

कानून और अर्थशास्त्र के जानकार

गोपीचंद के पिता का नाम परमानंद हिंदुजा था। मुंबई के जयहिंद कॉलेज से स्नातक किया। लंदन की वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। पत्नी सुनीता हिंदुजा है। दो बेटे संजय और धीरज जबकि बेटी रीता हिंदुजा है। 2023 में बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद कंपनी के चेयरमैन बने। छोटे भाई अशोक हिंदुजा भारत में कारोबार देखते हैं।

कई क्षेत्रों में बढ़ाया व्यापार

हिंदुआ समूह का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला है। बैंकिंग, ऊर्जा, मीडिया, लुब्रीकेंट और केबल टीवी समेत अन्य क्षेत्रों में इस समूह की कंपनियां कारोबार कर रही हैं। इसके अलावा आईटी, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेडिंग, रियर एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कारोबार फैला है।

ग्रुप की चुनिंदा कंपनियां

हिंदुजा समूह की कंपनियों का कारोबार 40 से अधिक देशों में फैला है। प्रमुख कंपनियों में अशोक लेलैंड, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुजा नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, हिंदुजा बैंक स्विट्जरलैंड, इंडसइंड बैंक, हिंदुजा हेल्थ केयर, गल्फ ऑयल इंटरनेशनल लिमिटेड व अन्य हैं।

समूह का सफर

- **1914** में कंपनी की स्थापना परमानंद हिंदुजा ने की
- **1919** में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान में कारोबार शुरू किया
- **1979** में इस्लामिक क्रांति के बाद कारोबार यूरोप पहुंचा
- **1979** में दोनों भाई श्रीचंद और गोपीचंद लंदन पहुंचे, अशोक ने भारत में कारोबार संभाला
- **100** देशों में करीब 11 क्षेत्रों में समूह का कारोबार फैला है
- **1984** में गल्फ ऑयल का कारोबार संभाला
- **1987** में अशोक लेलैंड में विदेशी निवेश, 1990 में कई बैंकों की स्थापना की

जयशंकर ने कहा, गाजा शांति योजना का करते हैं समर्थन

आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे भारत-इजरायल

संकल्प

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत और इजरायल को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के वैश्विक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना चाहिए।

भारत यात्रा पर आए इजरायल के विदेश मंत्री गिदेन सार के साथ बैठक में मंगलवार को उन्होंने यह बात कही। सार तीन दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। जयशंकर ने कहा, दोनों देश आतंकवाद से उपजी एक विशेष चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसलिए, जरूरी है हम आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति जीरो टालरेंस के वैश्विक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करें। यहां हैदराबाद हाउस में बैठक के दौरान जयशंकर ने उनका स्वागत किया।

दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी: जयशंकर ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। भारत के मामले में इस शब्द का एक वास्तविक अर्थ है। हम कठिन समय में साथ खड़े रहे हैं और हमने उच्च स्तर के विश्वास और विश्वसनीयता के साथ एक रिश्ता बनाया है। जयशंकर ने कहा कि भारत गाजा शांति योजना का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, यह यात्रा द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और इसे प्रगाढ़ बनाने की संभावनाओं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। हाल ही में द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर इस दिशा में अहम कदम है। कृषि, पर्यटन और वित्त से संबंधित विषयों पर भी इजरायल से बात हुई है।

नई दिल्ली में मंगलवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने इजरायली समकक्ष गिदेन सार संग बैठक कर आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की।

कृषि का हमारा मजबूत रिकॉर्ड

जयशंकर ने कहा कि हाल में भारत ने कई नई क्षमताएं विकसित की हैं। इसमें रेल, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य आदि क्षेत्र हैं। हमारे व्यवसाय इजरायल में अवसर तलाशने को उत्सुक हैं।

चार दशक जेल में काटे, अब कोर्ट से निर्वासन पर रोक

फिलाडेल्फिया, एजेंसी। अमेरिका की दो अलग-अलग अदालतों ने भारतीय मूल के व्यक्ति को निर्वासन पर रोक लगा दी। 64 वर्षीय सुब्रमण्यम वेदम ने एक हत्या के मामले में 43 साल जेल में बिताए, लेकिन हाल ही में उनकी यह दोषसिद्धि रद्द कर दी गई।

अदालत ने आव्रजन अधिकारियों को वेदम को निर्वासित न करने का आदेश दिया है। वेदम अमेरिका के एक वैध स्थायी निवासी हैं और उन्हें लुइसियाना के अलेक्जेंड्रिया स्थित एक अल्पकालिक निरुद्ध केंद्र में रखा गया है। लोग उन्हें 'सुबु' के नाम से जानते हैं। आव्रजन मामलों की सुनवाई कर रहे एक न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि जब तक आव्रजन अपील ब्यूरो यह तय नहीं कर लेता कि उनके मामले की समीक्षा की जाए या नहीं, तब निर्वासन पर रोक है। वेदम के वकीलों ने कहा कि आव्रजन अदालत के निर्णय को देखते हुए यह मामला फिलहाल रुका रह सकता है।

भारतीय मूल के सुब्रमण्यम वेदम की हत्या मामले में दोषसिद्धि रद्द

फेमा के तहत ईडी की बड़ी कार्रवाई

दीमापुर। ईडी ने पहली बार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत नगालैंड में तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया है।

ईडी अफसरों ने बताया, यह कार्रवाई लीमा इम्सोंग व अन्य से जुड़े एक मामले में की गई है। ईडी दीमापुर सब जोन ने जांच के तहत कुल सात ठिकानों पर तलाशी ली।

रूस-यूक्रेन ने एक दूसरे पर किए हमले

मॉस्को, एजेंसी। यूक्रेन लगातार रूस के प्रमुख शहर पर हमला कर रहा है। रूसी मीडिया के अनुसार, यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोनों से रूस के बश्कोर्तोस्तान क्षेत्र के शहर स्टर्लिटामक में औद्योगिक संयंत्र पर हमला किया।

यूक्रेन के अफसरों ने बताया कि पिछले दो दिन में यह लगातार दूसरा हमला है। इसमें अभी तक किसी के मारे जाने की सूचना नहीं है। वहीं यूक्रेन की सेना पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र के प्रमुख शहर पोक्रोवस्क पर रूसी हमले रोकने के लिए भीषण संघर्ष कर रही है। इधर, रोमानिया ने मंगलवार को कहा, यूक्रेनी तट पर हवाई निगरानी अभियानों के लिए लड़ाकू विमानों को किया गया है।

विश्व में पहचाना जाएगा अब रांची का मैकलुस्कीगंज

उपलब्धि

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। हजारीबाग के बड़कागांव का मेगालिथ और रांची का मैकलुस्कीगंज जल्द वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।

पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने संबंधित विभागों को दोनों स्थलों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में उठी थी चर्चा: बीते 21 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार के साथ मैकलुस्कीगंज के कई पर्यटन स्थलों का दौरा किया था। इसके बाद मंत्री सुदिव्य कुमार ने 11 अक्तूबर को उक्त दोनों ही स्थलों का दौरा किया था। उसके बाद से ही यह बात सामने आई थी कि दोनों ही स्थलों को जल्द ही पर्यटन हब के रूप में पहचान मिलेगी। उक्त दोनों ही पर्यटक स्थलों की चर्चा बीते 15-16 अक्तूबर को राजस्थान के उदयपुर जिले में आयोजित किए गए राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में भी की गई थी। इस सम्मेलन में मंत्री सुदिव्य कुमार ने शिरकत की थी।

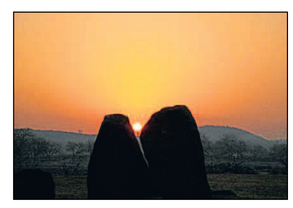

हजारीबाग के बड़कागांव स्थित मेगालिथ के पास चट्टानों के बीच से उगते सूर्य का अद्भुत नजारा। • फाइल फोटो

देश-विदेश 30s

2100 सिख तीर्थयात्रियों का जत्था पहुंचा

लाहौर। गुरु नानकदेव की 556वीं जयंती कार्यक्रम के लिए मंगलवार को भारतीय सिख पाकिस्तान पहुंचे। लगभग 2100 सिख तीर्थयात्रियों का जत्था वाघा बॉर्डर से पाक में प्रवेश किया। मई में चार दिनी संघर्ष के बाद भारत-पाक ने अपनी सीमा को बंद कर दिया था। छह महीने बाद दोनों देशों के बीच पहला जनसंपर्क रहा।

अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का मंगलवार को निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। उनके परिवार ने बताया, वह निमोनिया व दिल की बीमारी से पीड़ित थे डिक चेनी ने ही दावा किया था कि इराक के पास घातक हथियार हैं। उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति बुश ने इराक पर हमला करने का आदेश दिया था।

केंद्र से अपहृत भारतवंशी के परिजनों ने मदद मांगी

भुवनेश्वर। सूडान में जारी गृहयुद्ध के बीच एक समूह ने भारतीय नागरिक आदर्श बेहरा का अपहरण कर लिया है। मामले में आदर्श के परिजनों ने केंद्र से उन्हें रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की है। ओडिशा के जगतसिंहपुर के कोटकाना गांव निवासी 36 वर्षीय बेहरा का पिछले हफ्ते अपहरण कर लिया गया था।

मुंबई बम विस्फोट के आरोपी को जमानत

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महानगर में जुलाई 2011 में हुए तिहरे बम विस्फोटों के सिलसिले में गिरफ्तार 65 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी। अदालत ने लंबी सुनवाई, आरोपी की बढ़ती उम्र और उसकी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति आर.आर. भोसले की पीठ ने कफील अहमद मोहम्मद अयूब को जमानत देते हुए कहा कि 14 साल पुराने इस मामले में निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना कम है।

जिम कॉर्बेट में छह साल बाद हाथी सफारी शुरू

रामनगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में छह साल बाद दोबारा से हाथी सफारी शुरू होने जा रही है। 15 नवंबर को नए पर्यटन सत्र से बिजरानी और ढिकाला जोन में हाथी सफारी का पर्यटक लुत्फ उठाते हुए दिख सकते हैं। इसके लिए जल्द ही पालतू हाथियों को सफारी के लिए चिन्हित किया जाएगा। पार्क के पास कुशल महावत भी है। कॉर्बेट में कई सालों से जिप्सियों से जंगल सफारी के साथ ही हाथी सफारी होती थी, लेकिन 2018 में कोर्ट के आदेश के बाद हाथी सफारी को बंद करना पड़ गया था।

चूहों ने गिराया ओवरब्रिज का एक हिस्सा : निगम

इंदौर। मध्य प्रदेश की इंदौर नगर निगम महापौर परिषद (आईएमसी) के एक सदस्य ने शहर में 75 साल पुराने ओवरब्रिज के ढहने के लिए चूहों को जिम्मेदार ठहराया बताया है। आईएमसी में लोक निर्माण विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौर ने मंगलवार को कहा कि ब्रिज में कोई संरचनात्मक दोष नहीं है।

बड़ी संख्या में हाथ आजमा रहे भारतवंशी उम्मीदवार

अमेरिका में चुनाव

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न पदों के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में बड़ी संख्या में भारतवंशियों ने भी हाथ आजमाया है।

यह चुनाव ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल में पहली अहम लड़ाई है। इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट नामक संगठन ने कहा, चुनाव लड़ने के लिए साहस की जरूरत होती है।

गजाला हाशमी: इनमें सबसे प्रमुख उम्मीदवारों में वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव लड़ रही गजाला हाशमी हैं। वह वर्जीनिया राज्य की सीनेट में निर्वाचित होने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी हैं।

आफताब पुरवाल : आफताब पुरवाल ओहायो के सिनसिनाटी शहर के महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं। पुरवाल की तिब्बती मां दक्षिणी भारतीय शरणार्थी शिविर में पली-बढ़ी थी, उनके पिता पंजाबी हैं।

सतीश गरिमेला : गरिमेला उत्तरी कैरोलिना राज्य के मॉरिसविले से महापौर पद के लिए मैदान में है। दीनी अजमानी न्यू जर्सी राज्य के होबोकेन शहर से महापौर पद के प्रत्याशी हैं।

न्यूयॉर्क से मेयर प्रत्याशी ममदानी पर बरसे ट्रंप

न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी की आलोचना की है। उन्होंने उन्हें यहूदियों से भेद करने वाला करार दिया। ट्रंप ने 'ट्रुथ' पर लिखा, यहूदियों से भेद करने वाले ममदानी को जो भी यहूदी वोट देता है, वह मूर्ख है।

राहत : राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड गड्ढा मुक्त होंगे

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के सर्विस रोड-स्लिप रोड को मजबूत, टिकाऊ और गड्ढा मुक्त बनाने के लिए नए मानक लागू किए हैं। अब राष्ट्रीय राजमार्गों के सर्विस रोड को वैज्ञानिक तरीके से एक डिजाइन से निर्माण किया जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस रोड-स्लिप रोड एवं फुटपाथ निर्माण को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण में अनुमानित अवधि से भी काफी देर हो जाती है। इस कारण, मुख्य राजमार्ग का भारी यातायात लंबे समय तक सर्विस रोड पर मोड़ दिया जाता है। इससे सर्विस रोड-स्लिप रोड पर दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है। इन समस्याओं को देखते हुए मंत्रालय ने प्रारंभिक डिजाइन चरण में ही सर्विस-स्लिप रोड के लिए डिजाइन संबंधी विचार शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। सर्विस रोड-स्लिप रोड के डिजाइन बनाते समय अनुमानित यातायात का ध्यान रखा जाएगा। सर्विस-स्लिप रोड की मोटाई एक समान होगी। साथ ही मजबूत सामग्री का प्रयोग किया जाएगा।

प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. हरि गौतम का निधन

स्मृति शेष
07 अप्रैल 1937
04 नवंबर 2025

जयपुर/आगरा, हिन्दुस्तान टीम। प्रसिद्ध हृदय एवं वक्ष शल्य चिकित्सक, उत्कृष्ट प्रशासक, शिक्षाविद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. हरि गौतम का मंगलवार को निधन हो गया। सात अप्रैल 1937 को बुलंदशहर के छोटे से गांव दानपुर में उनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जयपुर के संस्थापक एवं एमेरिटस अध्यक्ष डॉ. एमएल स्वर्णकार, अध्यक्ष एवं कुलाधिपति डॉ. विकास सी. स्वर्णकार, कुलपति डॉ. अचल गुलाटी ने बताया कि संस्थान के संस्थापक कुलपति, मुख्य सलाहकार डॉ. गौतम चिकित्सा जगत के एक सच्चे दिग्गज और पीढ़ियों के मार्गदर्शक रहे।

डॉ. गौतम ने कानपुर और झांसी मेडिकल कॉलेज में हार्ट सर्जरी से खास पहचान बनाई। 1990 में एसएनएमसी आगरा के प्राचार्य बने और 1995 में तक यह दायित्व निभाया। दो अगस्त 1995 को उन्हें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। यहां उनका कार्यकाल 25 अगस्त 1998 तक रहा। 1999-2000 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का कामकाज संभाला। उसके बाद 2006 में उन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) लखनऊ का कुलपति बनाया गया।

डॉ. हरि गौतम केआईआईटी भुवनेश्वर के पूर्व चांसलर, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी के विकास के लिए डॉ. बीसी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉ. गौतम को भारत में यूजीसी और उच्च शिक्षा की 'समीक्षा और पुनर्गठन' के लिए याद किया जाएगा।

रिपोर्ट: भारतीयों की संपत्ति बीते दो दशक में 62% बढ़ी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के सबसे अमीर एक फीसदी लोगों की संपत्ति बीते दो दशक में 62% बढ़ी है। जी-20 के दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज के नेतृत्व में किए गए इस शोध में चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे लोकतंत्र, आर्थिक स्थिरता और जलवायु को खतरा संभव है। अर्थशास्त्रियों के पैनल ने पाया कि दुनियाभर में शीर्ष एक प्रतिशत लोगों ने 2000 और 2024 के बीच बनाई गई सभी नई संपत्ति का 41% हिस्सा हासिल किया, जबकि मानवता के निचले आधे हिस्से को केवल एक फीसदी प्राप्त हुआ। रिपोर्ट के अनुसार बीते दो दशक में सबसे अमीर एक फीसदी लोगों की औसत संपत्ति में 13 लाख अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है, सबसे गरीब आधे हिस्से के लोगों की संपत्ति में इसी अवधि में औसतन 585 अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों ने अपनी संपत्ति में वृद्धि की है। भारत में 62% तो चीन में यह आंकड़ा 54% है। रिपोर्ट के अनुसार, अगले दशक में दुनिया भर में 70 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा की विरासत में मिली संपत्ति पीढ़ियों को हस्तांतरित होंगी, जिससे असमानता और बढ़ेगी।